

397

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प3(173)-नवीन/3/84

जयपुर, दिनांक 15.04.2011

विषय:- गाड़िया लुहारों को नि:शुल्क भूमि आवंटन बाबत।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.5.2009 एवं 26.04.2010 की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा गाड़िया लुहारों को 50 बगल तक भूमि उक्त पत्रा में वर्णित शर्तों पर नि:शुल्क आवंटन की दिनांक 31.3.2012 तक बढ़ाई जाती है।

उक्त नि:शुल्क-आवंटित भूखण्ड किसी अन्य को-विक्रय नहीं किया जा सकेगा, इस हेतु आवंटन आदेश की शर्तों में भी उल्लेख किया जावे; इस सम्पूर्ण कार्यवाही को नियत अवधि में सकारात्मक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यह अवधि अंतिम होगी।

आज्ञा से,

Sdw

(एन.एल.मीना)

उप शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. विशेषाधिकारी (टी), मुख्य मंत्री कार्यालय को उनके पत्रांक मु.मं.-विशेषाधिकारी(डी)/प-2(नविवि)/(जोध)/11/25297 एवं 25299 दिनांक 05.09.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, समस्त नगर विकास न्याय।
11. रक्षित पत्रावली।

Sdw 15/04/2011
उप शासन सचिव-तृतीय